# डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)
व इजलास श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)

1. भंवर पुत्र हट्टी जाति कोली निवासी ग्राम केशपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम पुरा उलावटी तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. राकेश पुत्र कल्ला जाति धोबी निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर
3. श्रीमान तहसीलदार साहब बाडी बहैसीयत लैण्ड होल्डर

दावा दावत

मुकदमा न. 32/2025
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0 मिनजानिब मुददई श्री
मिनजानिब मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है

दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड बांके ग्राम कंचनपुर तह0 बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. भंवर पुत्र हट्टी जाति कोली निवासी केशपुरा तह0 मासलपुर खातेदार

| खसरा नं0 | रकवा |
|---|---|
| 1559/1 | 0.0885 |
| 1560/1 | 0.0506 |
| कुल किता 2 कुल रकवा | 0.1391 |

2. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी पुरा उलावटी खातेदार हि0 3/8, राकेश पुत्र कल्ला जाति धोबी हि0 1/8 निवासी कंचनपुर

| खसरा नं0 | रकवा |
|---|---|
| 1560/2 | 0.0506 |
| कुल किता 1 कुल रकवा | 0.0506 |

3. राकेश पुत्र कल्ला जाति धोबी निवासी कंचनपुर

| खसरा नं0 | रकवा |
|---|---|
| 1559/2 | 0.0885 |
| कुल किता 1 कुल रकवा | 0.0885 |

उपखण्ड अधिकारी
बाडी जिला–धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेडयूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करे।

नीज ............ मुबलिग............ बाबत ..........खर्चा इस मुकददमे के मय सूद व शहर ......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .................... को अदा करे।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 09 साल 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ..........

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाड़ी

बाड़ी जिला- धौलपुर

| मुददई | रूपया | न.पै. | मुददायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प मुस्तगीसा |  |  | स्टाम्प वकालतनामा |  |  |
| स्टाम्प वकालतनामा |  |  | स्टाम्प अरजी |  |  |
| स्टाम्प वजह सबूत |  |  | महनताना वकील ) रू0 |  |  |
| महनतनामा वकील ) रू0 |  |  | खर्चा गवाहान |  |  |
| खर्चा गवाहान |  |  | फीस कमिश्नर |  |  |
| फीस कमिश्नर |  |  | बाबत इजराय हुकमनामा |  |  |
| बाबत इजराय हुकमनामा |  |  | मुतफर्रिक |  |  |
| मुतफर्रिक |  |  |  |  |  |
| मीजान |  |  | मीजान |  |  |

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी आर.ए.एस.

उनवान

भंवर बनाम मुकेश

1. भंवर पुत्र हट्टी जाति कोली निवासी ग्राम केशपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

वादी :–

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी ग्राम पुरा उलावटी तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. राकेश पुत्र कल्ला जाति धोबी निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर
3. श्रीमान तहसीलदार साहब बाडी बहैसीयत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0

दावा स. 32/2025 दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0

दिनांक :– 29-09-2025

## निर्णय

दावा वादी दिनांक 17.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी परिशिष्ट (क) खसरा नम्बर 1560 रकबा 0.1012 हैक्टे0, परिशिष्ट (ख) खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.1770 हैक्टे0 बांके ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर के कृषिजोत विभाजन प्रस्ताव मौके पर वर्तमान कब्जे के मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। तत्पश्चात बहस कुर्रेजात पर वकील वादी सुनी गई। वकील वादी द्वारा कुर्रेजात के अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। मेरी राय में वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तदनुरुप रिकार्ड बांके ग्राम जपावली तह0 बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. भंवर पुत्र हट्टी जाति कोली निवासी केशपुरा तह0 मासलपुर खातेदार

| खसरा नं0 | रकबा |
|---|---|
| 1559/1 | 0.0885 |
| 1560/1 | 0.0506 |
| कुल किता 2 कुल रकबा | 0.1391 |

ह0/
उपखण्ड अधिकारी
बाडी जिला धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी पुरा उलावटी खातेदार हि0 3/8, राकेश पुत्र कल्ला जाति धोबी हि0 1/8 निवासी कंचनपुर

| खसरा नं0 | रकवा |
|---|---|
| 1560/2 | 0.0506 |
| कुल किता 1 कुल रकवा | 0.0506 |

3. राकेश पुत्र कल्ला जाति धोबी निवासी कंचनपुर

| खसरा नं0 | रकवा |
|---|---|
| 1559/2 | 0.0885 |
| कुल किता 1 कुल रकवा | 0.0885 |

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी